### बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विमाग –ः अधिसूचना ः–

पटना-15, दिनांक- <u>21 3 25</u>

संख्या-15/बि.स.से.-29-01/2024 सा.प्र. 5208 बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 03, 2008) की धारा–19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती हैः--

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -1.
  - यह नियमावली ''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 (i) कही जा सकेगी।"
  - इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा (ii) संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।
  - (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के परिशिष्ट–1 में 2. अन्तःस्थापन् । --

उक्त नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में क्रम संख्या-64 के बाद क्रम संख्या-65 से 66 निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है:--65 – उद्यान निदेशालय (कृषि विभाग)।

66 – कृषि विपणन निदेशालय (कृषि विभाग)।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, (डॉ. बी. राजन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-15/बि.स.से.-29-01/2024 सा.प्र. 5208/पटना-15, दिनांक-21.3.25 प्रतिलिपिः--ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित हेतु प्रेषित।

(Rojend) कर्भ सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-15/बि.स.से.-29-01/2024 सा.प्र. 5208/पटना-15, दिनांक-21:3:25 प्रतिलिपिः-राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Marely war

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—15 / बि.स.से.—29—01 / 2024 सा.प्र. 5<sup>-208</sup> / पटना—15, दिनांक—. <u>2113</u>-25 प्रतिलिपिः–आई॰टी॰ प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**सरकार के अपर मुख्य सचिव** 

### बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग —ः अधिसूचना ::—

पटना-15, दिनांक-21·3·25 संख्या-15/बि.स.से.-29-01/2024 सा.प्र. 5209 अधिसूचना संख्या-5208 दिनांक-21·3·25 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत- संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Dejend nor (डॉ. बी.

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

## Government of Bihar General Administration Department

### NOTIFICATION

No:-15/B.S.S.-29-01/2024 / G.A.D. 5208 /Patna-15, Dated 2).3.

In Exercise of powers conferred upon by sub clause (1) of article 19 of Bihar Secretariat Services Act 2007 (Bihar Act 3, 2008) Govt. of Bihar makes the following rule to amend, the Bihar Secretariat Services Rule, 2010 -

# 1. <u>Short Title, Extent and Commencement</u>

۹<sup>°°</sup> .,

- (i) This rule may be called is "Bihar Secretariat Service (Amendment) Rules, 2025"
- (ii) It shall extend to the Secretariat Departments of Bihar State Govt. and its attached offices.
- (iii) It shall come into force at once.
- Insertion in Appendix-1 of Bihar Secretariat Services rule, 2010 -In Appendix-1 to the said rules, sl. no.-65 to 66 are inserted after sl no.-64 as follows -
  - "65 Horticulture Directorate (Agriculture Department)
  - 66 Agricultural Marketing Directorate (Agriculture Department)"

By the order of Governor of Bihar

(Dr. B. Rajendar) Additional Chief Secretary Memo No:-15/B.S.S.-29-01/2024 / G.A.D...../Patna-15 Dated .....

Copy Forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

(Dr. B. Rajendar)

Additional Chief Secretary

(Dr. B. Rajendar)

(Dr. B. Rajendar) Additional Chief Secretary

Memo No:-15/B.S.S.-29-01/2024 / G.A.D....../Patna-15 Dated ...... Copy Forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action for uploading on departmental website.

(Dr. B. Rajendar)

(Dr. B. Rajendar) Additional Chief Secretary